

56-67

संख्या - 1426 / 111 (2) / 11-20 (साठ) / 11

प्रधक.

डॉ एस०एस०सन्धु

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

मेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग

देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 28 फरवरी, 2013

विषय:- निर्माण कार्यों में विकाराल रूपों से कम दरों पर ग्राप्त निविदा स्वीकार करने से पूर्व अनिवार्य परफारमेन्ट सिक्योरिटी (Performance Security) निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०-6447 / 11(2) / 11-20(साठ) / 11 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के द्वारा प्रस्तर (ब) को यथा संशोधित किये जाने की ओर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(ब) सिक्योरिटी डिपोजिट (Security Deposit/Retention Money)

The Employer shall retain from each payment due to the Contractor an amount of 5% of the bill amount, subject to a maximum of 5% of the contract price until the Defects Liability Period has passed and the Engineer has certified that all Defects notified by the Engineer to the Contractor before the end of this period have been corrected. The Defects Liability Period shall be 18 months from the Date of Completion of the Contract.

यथा संशोधित


The Employer shall retain from each payment due to the Contractor an amount of 5% of the bill amount, subject to a maximum of 5% of the contract price until the Defects Liability Period has passed and the Engineer has certified that all Defects notified by the Engineer to the Contractor before the end of this period have been corrected. The Defects Liability Period shall be 2 months from the Date of Completion of the Contract.

शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 2013 की ऊन्हे शर्त यथावत रहेगी। कृपया शासनादेश को छल्ला स्वीकृत संशोधित समझा जाये।

2- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या 1037 / xxvII(2)/2012 दिनांक 28 फरवरी, 2012 में ग्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मेरि 61

मंवदीन



(डॉ एस०एस०सन्धु)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1426 / 11 (2) / 11-20 (साठो) / 11 उद्दीपनाक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु घोषित :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन ।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम) / ओबराय बिल्डिंग भाजस, देहसदून ।
3. आयुक्त गढ़वाल / कुमांगु मण्डल, पौड़ी / नैनीताल ।
4. उत्तराखण्ड के समस्त अभियन्त्रण विभागों को द्वारा प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण बिल्डिंग, देहसदून समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त मुख्य / वारिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
6. मुख्य अधिकारी, गढ़वाल / कुमांगु क्षेत्र, लोठनियाँ, पौड़ी / कल्पाड़ी ।
7. समस्त अधीक्षण अधिकारी, लोठनियाँ, उत्तराखण्ड ।
8. समस्त अधिकारी अधिकारी, प्रा० / निर्माण / अस्थाई स्वर्ग, लोठनियाँ उत्तराखण्ड ।
9. वित्त अनुभाग-2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
10. निदेशक, सद्वीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहसदून ।
11. लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन / शार्फ मुक ।

आकृति से
प्रमुख
(महिमा)
अनुभाग-2